झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) संख्या 2312 वर्ष 2020

मेसर्स माँ भगवती कंस्ट्रक्शन, एक साझेदारी फर्म प्रेमेश्वरम का प्रतिनिधित्व उसके भागीदारों में से एक बलराज आनंद के माध्यम से किया जा रहा है। ... . याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, एफ0एफ0टी0 भवन, परियोजना भवन के पास, धुर्वा, रांची
3. मुख्य अभियंता, झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विभाग प्राधिकरण, एफ0एफ0टी0 भवन, धुर्वा, रांची
4. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली
5. परियोजना प्रबंधक, एन0पी0सी0सी0 लिमिटेड, गुमला
6. प्रबंधक (वित्त) एन0पी0सी0सी0 लिमिटेड, झारखंड क्षेत्र
7. प्रक्षेत्र प्रबंधक, एन0पी0सी0सी0 लिमिटेड, रांची .... उत्तरदातागण

कोरम : माननोय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री समीर कु0 लाल, अधिवक्ता

उत्तरदाता सं0 1 एवं 2 के लिए: श्री संजय साह, ए0ए0जी0–IV के ए0सी0

उत्तरदाता सं0 3 के लिए: डॉ0 अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता

04 / 04.01.2021 वर्तमान रिट याचिका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई है।

वर्तमान रिट याचिका प्रक्षेत्र प्रबंधक, नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची–प्रतिवादी संख्या 7 पर निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई है, जो

बिना किसी प्रशंसनीय स्पष्टीकरण और याचिकाकर्त्ता के प्रतिनिधि को सुनने का अवसर प्रदान किये, याचिकाकर्त्ता से ली गई राशि को वापस करने/वापस करने के लिए है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समूह संख्या गम–1 (सी) के तहत ओक्वा से बटलोया तक सड़क के निर्माण और रखरखाव के काम के संबंध में, (लंबाईः4.00 कि0मी0) और पाकरटोली से जमटोली (लंबाईः3.700 किलोमीटर), ब्लॉक–बसिया, जिला–गुमला दोनों पैकेज नंबर जे0एच0–1068 के तहत से संबंधित है, उत्तरदाताओं द्वारा इस तथ्य की पुष्टि के बावजूद कि ऐसी किसी भी तरल क्षति के बिना प्रश्नगत कार्य को करने के लिए समय का विस्तार दिया जायेगा।

याचिकाकर्त्ता और प्रतिवादी सं0 1 और 2 के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 3 के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और यह ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्त्ता अभ्यावेदन दिनांक 20 जून, 2019 और 17 अक्टूबर, 2019 को विचार के लिए लंबित कहा जाता है, मामले की योग्यता में प्रवेश किए बिना, याचिकाकर्त्ता, प्रतिवादी संख्या 7 के समक्ष वर्तमान मुद्दे पर एक नए अभ्यावेदन देने के लिए स्वतंत्र है। उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 7, याचिकाकर्त्ता के प्रतिनिधि को सुनने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् एक तर्कसंगत अवधि के अंदर सूचना देकर उचित निर्णय लेंगे।

उपरोक्त स्वतंत्रता और निर्देश के साथ इस रिट यायचिका को निष्पादित किया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)